

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड  
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

संख्या-4428/नियोजन/13-113(1)/2021

दिनांक 14 दिसम्बर, 2021

अभिरूचि की अभिव्यक्ति/आवेदन पत्र आमंत्रण

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-652(अ) दिनांक 23-09-2021 के माध्यम से स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण, स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों के फिटनेस परीक्षण की प्रक्रिया और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों द्वारा फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया अधिसूचित की गयी है। उक्त अधिसूचना के अनुसार स्वचालित परीक्षण केन्द्र के संचालन हेतु नियमावली के नियम 175 के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

अधिसूचना संख्या-652(अ) दिनांक 23-09-2021 के अन्तर्गत निम्न स्थानों पर स्वचालित परीक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु इच्छुक ऑपरेटरों (व्यक्तियों/कंपनी/संघ/व्यक्तियों के निकाय/विशेष प्रयोजन वाहन) से अभिरूचि की अभिव्यक्ति/आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

- 1-- जनपद देहरादून में डाईवाला क्षेत्र के अन्तर्गत
- 2-- जनपद उधमसिंहनगर में रूद्रपुर नगर क्षेत्र के आस-पास

उक्त अधिसूचना संख्या-652(अ) दिनांक 23-09-2021 के नियम 176 में परीक्षण हेतु स्वचालित परीक्षण केन्द्र के स्वामी या प्रचालक हेतु पात्रता का निर्धारण निम्नवत किया गया है:-

- (1) किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र का, यथास्थिति, स्वामी या प्रचालक राज्य सरकार या किसी कम्पनी या संगम या व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय या विशेष प्रयोजन यान, या तो प्रत्यक्ष रूप से या पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के माध्यम से होगी।

परन्तु कोई यान विनिर्माता या सेवा केन्द्र या मोटर गाड़ी डीलर या यान के सुधार या विनिर्माण या यान के विक्रय या मोटर गाड़ी के पुर्जों से संबंधित कोई व्यक्ति किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र का प्रत्यक्ष रूप से स्वामी या प्रचालक नहीं बनेगा।

परन्तु यह और कि जहां कोई यान विनिर्माता या सेवा केन्द्र या मोटर गाड़ी डीलर या यान के सुधार या विनिर्माण या यान के विक्रय या मोटर गाड़ी के पुर्जों से संबंधित कोई व्यक्ति किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र का स्वामी या प्रचालक बनने का आशय रखता है तो वह कोई समनुषंगी या संयुक्त उद्यम या कोई विशेष प्रयोजन यान बनाकर ऐसा कर सकेगा।

- (2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र का स्वामी ऐसे स्वचालित परीक्षण केन्द्र का प्रचालक भी हो सकेगा।
- (3) किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र के स्वामी या प्रचालक द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा:-




- (क) आवेदक का भारत में पंजीकृत एवं भारतीय नागरिक की स्वामित्व वाली कम्पनी होना अनिवार्य है।
- (ख) ऐसी फर्म/कम्पनी/ज्वॉइन्ट वेन्चर भी आवेदन के लिये पात्र होंगे, जिनका मुख्य पार्टनर भारतीय नागरिक हो।
- (ग) स्वचालित परीक्षण केन्द्र के स्वामी या प्रचालक को भारत में स्थापित किसी ऐसे केन्द्र के संचालन का न्यूनतम 06 माह का अनुभव अनिवार्य है, जहाँ वाहनों के फिटनेस परीक्षण का कार्य स्वचालित उपकरणों के माध्यम से किया जाता हो तथा परिणाम वाहन-4 डाटाबेस में सीधे अपलोड किया जाता हो।
- (घ) आवेदक निगमन प्रमाणपत्र या दुकान अधिनियम रजिस्ट्रीकरण या उद्यम आधार का धारक हो।
- (ङ) विधिमान्य माल और सेवा कर प्रमाणपत्र धारक हो।
- (च) विधिमान्य स्थायी खाता संख्यांक धारक हो।
- (छ) जहाँ स्वचालित परीक्षण केन्द्र स्थापित किया जाना है, विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक को, वह परिसर या तो स्वामी के स्वामित्व में हों या कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए पट्टे या भाड़े पर लिया गया हो।
- (ड) किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र के स्वामी या प्रचालक के पास पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम तीन करोड़ रूपए की शुद्ध मालियत होगी और अंमित दो वित्तीय वर्षों में कर के पश्चात निश्चित लाभ होना चाहिए।
- (ढ) आवेदक के पास कम से कम रूपये 1.00 करोड़ का शोध क्षमता प्रमाणपत्र (सालवैन्सी सर्टिफिकेट) हो।
- (ण) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ एक शपथ पत्र संलग्न किया जाएगा, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि आवेदक को किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
- (त) आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथपत्र संलग्न किया जाएगा कि आवेदक द्वारा प्राथमिक पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत करने के दिनांक से 120 दिवस के भीतर स्वचालित परीक्षण केन्द्र का तृतीय पक्ष आडिट केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 में विहित प्रोटोटाईप एजेन्सी से कराते हुए आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
- (4) इसके अतिरिक्त स्वचालित परीक्षण केन्द्र के स्वामी या प्रचालक को निम्न शर्तों का अनुपालन करना होगा:-
- 1- नियम 181 एवं 182 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार स्वचालित परीक्षण केन्द्र पर स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों के फिटनेस परीक्षण का परिणाम जारी किया जायेगा तथा उक्त परिणाम वाहन 4.0 में स्वतः अपलोड कर दिया जायेगा।
  - 2- परीक्षण केन्द्र राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप किसी ऐसे सुविधाजनक स्थान पर स्थापित किये जायेंगे जहाँ छोटे व भारी वाहन सुगमता पूर्वक आ जा सकें तथा इस हेतु वाहनों के प्रवेश तथा निकास की पृथक-पृथक सुविधा हो।
  - 3- स्वचालित परीक्षण केन्द्र के स्वामी या प्रचालक द्वारा नियम 178 में अपेक्षित अवसंरचना एवं नियम 179 में अपेक्षित जनशक्ति की व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के आलोक में इच्छुक ऑपरेटरों (व्यक्तियों/कंपनी/संघ/व्यक्तियों के निकाय/विशेष प्रयोजन वाहन) से नये स्वचालित परीक्षण स्टेशन (Automated Testing Station) की स्थापना हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति/आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र मूल रूप में समस्त विहित अभिलेखों के साथ कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, कुल्हान, सहस्रधारा रोड़, देहरादून में दिनांक 31-12-2021 तक अपराहन 05:00 बजे तक जमा किया जा सकता है।

**नोट:-**

1. नियम-188 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परिवहन विभाग में जमा किया जायेगा।
2. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-652(अ) दिनांक 23-09-2021 परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड की वेबसाईट [transport.uk.gov.in](http://transport.uk.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

  
(सनत कुमार सिंह)  
उप परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।